कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली।

पत्रांक–८-2383/जि0का0अधि0/आ0बा0का0विज्ञप्ति/2025–26 दिनॉक-०३-दिसम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये नवीन शासनादेश संख्या–2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनॉक 17 सितम्बर, 2025 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद रायबरेली में पूर्व विज्ञापित पदों में रिक्त रह गये आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–**

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों की संख्या			
		कुल रिक्त पदो की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
1	**बछरांवा**	**04**	01	02	01
2	**हरचंदपुर**	**01**	0	0	01
3	**छतोह**	**01**	0	01	0
4	**महराजगंज**	**02**	02	0	0
5	**सरेनी**	**01**	01	0	0
6	**शिवगढ़**	**04**	03	0	01
		13	07	03	03

उपरोक्त रिक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार आरक्षण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड एवं कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय बेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश :–

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक तक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
3. ऑगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
4. एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
5. चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
6. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
7. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
8. गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।
9. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
10. निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

Scanned with OKEN Scanner

11. आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

12. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–22/2015/2123/26–2–2025 दिनांक–14.09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

13. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

14. ऑनलाइन आवेदन दिनांक–04.12.2025 से दिनांक–25.12.2025 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

नोट :– रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

03/12/2025

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
रायबरेली।

पृष्ठांकन संख्या– /तद्दिनॉकित्।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली।
3. मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष चयन समिति) महोदया, रायबरेली।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सदस्यगण चयन समिति, रायबरेली,।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमृत विचार में न्यूनतम दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
रायबरेली।

Scanned with OKEN Scanner